संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013- ..3167../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:- 05/05/2017

विषय:- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-9386, दिनांक-09/12/2016 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2016 के प्रभाव से 132 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1(3)/2008-E-II(B) दिनांक-07/04/2017 के द्वारा पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2016 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 132 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. राज्य सरकार द्वारा दि०-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण नहीं किया गया है तथा षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान के आधार पर पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षण-पूर्व का पेंशन प्राप्त हो रहा है।

5. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि-

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01/01/2017 के प्रभाव से पुनरीक्षण-पूर्व पेंशन में 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा।

(iii) महंगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

6. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. दिनांक-01/07/2016 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

आदेश– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-08/2013- 3167/वि० पटना, दिनांक:- 05/05/2017

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-08/2013- 3167/वि० पटना, दिनांक:- 05/05/2017

प्रतिलिपि:–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 3167/वि० पटना, दिनांक:- 05/05/2017

प्रतिलिपि:-सहायक महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय विभाग), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, केनरा बैंक, एक्जीबिशन रोड, (लव कुश टॉवर), पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यू०को० बैंक, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, चाणक्या प्लेस, आर ब्लॉक, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, श्री राम भवन, पाम ट्री के सामने, पटना/रिजनल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, फेजर रोड, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 3167/वि० पटना, दिनांक:- 05/05/2017

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधानसभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महंगाई राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधानसभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाय ।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 3167/वि० पटना, दिनांक:- 05/05/2017

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, विभाग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांक–3 / कृ०–बजट–विविध– 85 / 2015 2042 / कृ०, पटना, दिनांकः – 17/5/ 2017

ax/Mail

प्रतिलिपि :–कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक उद्यान / निदेशक भूमि संरक्षण / निदेशक बामेति / निदेशक पी०पी०एम० / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी / सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) / नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर / नियंत्रक राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर / सभी जिला कृषि पदाधिकारी। / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला / सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र / उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट बिहार, पूर्णियाँ / अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) / सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण) / सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण) / संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण) / उप निदेशक (रसायन) कम्पोष्ट बिहार, पटना / सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला / प्रशासी–सह–लेखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग / कृषि निदेशालय / लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(प्रभु राम) 17/5/17

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2042 / कृ०, पटना, दिनांकः – 17/5/ 2017

प्रतिलिपि :– सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2042 / कृ०, पटना, दिनांकः – 17/5/ 2017

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य) सूचना / आई–टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।